



05.05.25

श्रीमान् जिला कलक्टर बाड़मेर के आदेश क्रमांक-प() () कार्मिक /2023/46:3 दि. 11.08.2023 के क्रम में यह पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु से स्थानांतरित होकर प्राप्त हुई है। जांच नए मुकदमा संख्या में दर्ज होकर आवन्दा उभय पक्षकारण दिनांक..20.06.25. को पेश हो।


सहायक कलक्टर
(SDO), बाड़मेर

20.06.25

पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय में अधिवक्ता वादीगण एवं वादीगण के नाम से अलग-अलग समय पर तीन बार आवज दिलाई गई। कोई उपस्थित नहीं।
इससे स्पष्ट होता है कि अधिवक्ता वादी एवं स्वयं वादीगण अपने वाद को लेकर गंभीर नहीं हैं।
लिहाजा वादी का वाद 'अदम पैखी' व 'अदम टाजिरी' में इमी स्तर पर खारिज किया जाता है।
पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो व नंबर से कम हो।


सहायक कलक्टर
(SDO), बाड़मेर